

steps taken for quicker and more efficient utilisation of external assistance is also laid on the Table of the House. [Placed in Library. See No. LT-1465/63].

**CORRECTION OF ANSWER TO UNSTARRED QUESTION NO. 2340**

**The Minister of Works, Housing and Rehabilitation (Shri Mebr Chand Khanna):** I lay a copy of the statement correcting answer to Unstarred Question No. 2340, dated 25-4-1963:

**STATEMENT**

In answer to part (b) of the Unstarred Question No. 2340 in the Lok Sabha on the 25th April, 1963, I had indicated that the link road would be completed by the end of June, 1963. I regret that this answer was given under a mistaken impression. The work is expected to be completed by the end of March, 1964, along with culverts and minor bridges.

12 hrs.

**RE. STRIKE IN BOMBAY**

**श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) :** उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

**Shri D. C. Sharma (Gurdaspur):** Before you pass on to the next item, I want to draw your attention to the proceedings of the House yesterday...

**Mr. Deputy-Speaker:** Shri Yadav has raised a point of order.

**श्री रामसेवक यादव :** उपाध्यक्ष महोदय, जब पिछली १३, १४ तारीख को हमने इसी विषय के बारे में, जिसके बारे में हमारे मित्र, श्री बनर्जी, का कालिग एटेंशन नोटिस स्वीकार किया गया है, अर्थात् बम्बई की हड़ताल से सम्बन्धित एक काम-रोको प्रस्ताव दिया। उसको आये-दिन इसलिए अस्वीकार किया गया कि चूंकि वह राज्य का विषय है, इसलिए वह स्वीकार नहीं किया जा सकता।

किन्तु उसी स्ट्राइक के बारे में आज ध्यान आकर्षण का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। इसका मतलब यह है कि उसको अब राज्य का विषय नहीं माना गया है, बल्कि वह केन्द्र का विषय है। ऐसी स्थिति में दो दिन पहले ही क्यों नहीं उस काम-रोको प्रस्ताव पर चर्चा करा ली गई, ताकि वह मामला समाप्त हो गया होता। मैं आपसे ब्यवस्था चाहता हूँ कि जब इसको केन्द्र का विषय मान लिया गया है, तो आज भी उस काम-रोको प्रस्ताव पर ही चर्चा क्यों न हो और इसको ध्यान-आकर्षण का प्रस्ताव का विषय क्यों बनाया जाये।

**Mr. Deputy-Speaker:** This is about the issuing of instructions by the Central Government to the Bombay Government. So, this is quite different from the wording of the other Resolution. That is why it was properly disallowed. It does not arise. There is no point of order.

**श्री रामसेवक यादव :** उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरा निवेदन सुन लें। आपने ब्यवस्था दी है कि वह एक बिल्कुल अलग मामला है। यदि यह बिल्कुल अलग और भिन्न प्रश्न है, तो आपके सेक्रेटेरियट के द्वारा जो सूचना दी गई है, उसमें मेरा नाम भी है, जब कि मेरा नाम काम-रोको प्रस्ताव के लिए था। इसका अर्थ यह है कि ये दोनों एक ही विषय के बारे में हैं और इसलिए आज काम-रोको प्रस्ताव पर ही चर्चा होनी चाहिए, न कि ध्य.न.अ.कर्षण प्रस्ताव पर।

12.02½ hrs.

**RE. POINT OF ORDER**

**Shri D. C. Sharma (Gurdaspur):** Before you proceed to the next item, I want to draw your attention to the report of the proceedings of this House. . . .

**Mr. Deputy-Speaker:** Is it a point of order you are raising?